अध्याय - 6

यौन–उत्पीड़न पर रोक

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 10. 09. 2009

विषय – कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु उपाय–राज्यस्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति का गठन।

रिट पीटिशन (क्रिमिनल) संख्या 666–70/1992 विशाका एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 13.08.97 को पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (जे०टी० 1997 (7) एस.सी. 384) में कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकने, यौन उत्पीड़न से संबंधित परिवादों के निष्पादन एवं दोषी व्यक्तियों को दंड देने हेतु मापदंड एवं प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु दिशा–निदेश दिए गये हैं। इसके अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा भी आवश्यक निदेश जारी किए गए हैं। उक्त निदेशों के अनुसरण में एक राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति का गठन संकल्प संख्या 2403 दिनांक 04.05.2001 के तहत, श्रीमती दीपिका पड़डा, भा०प्र०से० की अध्यक्षता में किया गया था। उनके अवकाश में जाने के उपरांत उनके स्थान पर श्रीमती एस० सिद्धू, भा०प्र०से० को संकल्प संख्या 7292 दिनांक 26.08.2004 के तहत उक्त समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया । उक्त समिति के कुछ सदस्यों का पदस्थापित स्थान से अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण समिति के पुनर्गठन की आवश्यकता हो गयी है ।

2. अतः राज्य सरकार ने, संकल्प संख्या 7292 दिनांक 26.08.2004 के साथ पठित संकल्प संख्या 2403 दिनांक 04.05.2001 के तहत कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु उपाय के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति का, तुरत के प्रभाव से, निम्नानुसार पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है:–

(i)	श्रीमती एस० सिद्धू, भा०प्र०से० (74), विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना–	अध्यक्ष
(ii)	राज्य मानवाधिकार आयोग में पदस्थापित आरक्षी महानिरीक्षक–	पदेन सदस्य
(iii)	श्रीमती विजयालक्ष्मी एन०, भा०प्र०से०, निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना–	सदस्य
(iv)	समाज कल्याण विभाग द्वारा नामित किसी अनुभवी स्वयंसेवी संस्था की महिला प्रतिनिधि–	सदस्य
(v)	निदेशक, समाज कल्याण, बिहार पटना–	सदस्य–सचिव

3. उक्त पुनर्गठित समिति का कार्यकाल अगले आदेश तक रहेगा ।

4. उक्त समिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश में दिए गए दिशा–निदेश का अनुपालन कराने और एतत्संबंधी राज्य सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन की दिशा में विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा कृत कार्रवाई की समीक्षा करेगी और यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित विभागों/कार्यालयों द्वारा कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करायेगी ।

5. उक्त समिति कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न संबंधी आचरणों, चाहे ऐसा आचरण किसी कानून के तहत अपराध हो या सेवा नियमावली का उल्लंघन, के कारणों से उद्‌भुत शिकायतों के समुचित और कालबद्ध निष्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ।

6. यह समिति प्राप्त शिकायतों एवं उनके द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को समर्पित करेगी ।

7. उक्त समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार अवश्य होगी, किन्तु समिति की अध्यक्ष आवश्यकतानुसार कभी भी समिति की बैठक बुला सकेगी ।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/एम०–01–15/2001 का०–4612 पटना, दिनांक 10.09.2009

प्रतिलिपि– गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित ।

आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/एम०–01–15/2001 का०–4612 पटना, दिनांक 10.09.2009

प्रतिलिपि–उक्त समिति के अध्यक्ष/सभी सदस्य/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव।

---

[2]

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

पटना– 15, दिनांक 26. 08. 2004

विषय– कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु उपाय–राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति का गठन।

कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, एक राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति का गठन, संकल्प संख्या 2403 दिनांक 04.05.2001 के तहत, श्रीमती दीपिका पड्डा, भा०प्र०से० की अध्यक्षता में किया गया था ।

चूँकि श्रीमती दीपिका पड्डा अवकाश में हैं, और चूँकि समाज कल्याण विभाग के पत्रांक–10/स०क०–

यौ०उ०–1074/99 पार्ट–633 दिनांक 23.07.2004 के अन्तर्गत अनुरोध किया गया है कि श्रीमती पड्डा के स्थान पर भा०प्र०से० के किसी वरीय महिला पदाधिकारी को राज्य स्तरीय महिला यौन उत्पीड़न समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया जाय, अतः राज्य सरकार ने श्रीमती दीपिका पड्डा, भा०प्र०से० के स्थान पर श्रीमती एस० सिद्धू, भा०प्र०से० (74), सम्प्रति प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य महिला विकास निगम को तुरत के प्रभाव से राज्य स्तरीय महिला यौन उत्पीड़न समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष मनोनीत करने का निर्णय लिया है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति समिति के सदस्यों/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

रविकान्त

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/एम०1–15/2001 का०–7292 पटना– 15, दिनांक 26 अगस्त, 2004

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा इसकी 100 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित ।

राय प्रमोद कुमार

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7292 पटना–15, दिनांक 26.08.2004

प्रतिलिपि– श्रीमती दीपिका पड्डा, भा०प्र०से०, लोकायुक्त के सचिव, बिहार, पटना/श्रीमती एस० सिद्धू, भा०प्र०से०, प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य महिला विकास निगम, पटना/समिति के सभी सदस्य/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राय प्रमोद कुमार

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7292 पटना–15, दिनांक 26.08.2004

प्रतिलिपि– निदेशक, समाज कल्याण, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अपने स्तर से भी समिति के सदस्यों को सूचित कर दें ।

राय प्रमोद कुमार

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना– 15, दिनांक 04 मई, 2001

संख्या 3/एम०1–14/2001–2404/ भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में तुरंत के प्रभाव से निम्नांकित संशोधन करते हैं–

संशोधन

उक्त नियमावली में,

1. नियम–3 में उपनियम (3) एवं उसके स्पष्टीकरण के बाद निम्नांकित उपनियम (4) एवं उसका स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, यथा–

"(4) यौन उत्पीड़न पर निषेध– (I) कोई भी सरकारी सेवक कार्यस्थलों पर किसी महिला सरकारी सेवक का यौन उत्पीड़न नहीं करेगा ।

(II) प्रत्येक सरकारी सेवक जो किसी कार्यस्थल का प्रभारी हो, ऐसे कार्यस्थल पर किसी भी महिला सरकारी सेवक के यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए समुचित उपाय करेगा ।

स्पष्टीकरण:– नियम–3 के उपनियम (4) के उद्देश्य से "यौन उत्पीड़न" में ऐसे सभी अवांछनीय यौन निर्धारित व्यवहार (चाहे सीधे रूप से या अन्यथा) शामिल होंगे, यथा–

(क) शारीरिक सम्पर्क एवं इसके लिए आगे बढ़ना,

(ख) यौन अनुमति के लिए अनुरोध या माँग,

(ग) यौन रंजित टिप्पणियाँ,

(घ) अश्लील साहित्य दिखाना,

(ङ) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या गैर–मौखिक आचरण ।"

(3/एम०1–14/2001)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

हारुन रशीद

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 3/एम०1–14/2001–2404 पटना–15, दिनांक 04 मई, 2001

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा इसकी 1000 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित ।

हारुन रशीद

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 3/एम०1–14/2001–2404 पटना–15, दिनांक 04 मई, 2001

प्रतिलिपि– सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/महाधिवक्ता, बिहार उच्च न्यायालय, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

हारुन रशीद
सरकार के संयुक्त सचिव ।

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 04 मई, 2001

संख्या 3/एम०1–14/2001–2405/अधिसूचना संख्या 2404 दिनांक 04.05.2001 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

(3/एम०1–14/2001)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
हारुन रशीद
सरकार के संयुक्त सचिव ।

NOTIFICATION

No. 3/M1-14/2001-2404— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar Government Servants Conduct Rules, 1976 with immediate effect:-

AMENDMENTS

In the said rules,

1. In rule 3, after subrule (3) and its Explanation the following subrule (4) alongwith its Explanation shall be added, namely-

"(4) Prohibition of Sexual harassment:-

(I) No Government servant shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at her work-place.

(II) Every Government servant who is in charge of a work place shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman at such workplace.

Explanation:- For the purpose of subrule (4) of rule-3 sexual harassment shall include such unwelcome sexually determined behaviour (whether directly or otherwise), as-

यौन–उत्पीड़न पर रोक

(a) physical contact and advances,

(b) demand or request for sexual favour,

(c) sexually coloured remarks,

(d) showing any pornography,

(e) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature."

(3/M1-14/2001)

By the order of the Governor of Bihar,

Haroon Rashid

Joint Secretary to Government

ज्ञापांक–3/एम०1–14/2001–2405 पटना–15, दिनांक 04 मई, 2001

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा इसकी 1000 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित ।

हारुन रशीद

सरकार के संयुक्त सचिव।

---

[4]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना–15, दिनांक 04 मई, 2001

विषय– कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु उपाय–राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति का गठन।

रिट पीटिशन (क्रिमिनल) संख्या 666–70/1992–विशाका एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 13.08.97 को पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश [जे०टी० 1997 (7) एस०सी० 384] में कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकने, यौन उत्पीड़न से संबंधित परिवादों के निष्पादन एवं दोषी व्यक्तियों को दंड देने हेतु मापदंड एवं प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु दिशा–निदेश दिये गये हैं। इसके अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा भी आवश्यक निदेश जारी किये गये हैं। उक्त निदेशों के अनुपालन की सामयिक समीक्षा आदि हेतु राज्य स्तर पर एक समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति का गठन सरकार के विचाराधीन था ।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध, उक्त आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने निम्नांकित रूप में एक राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति का गठन तुरंत के प्रभाव से करने का निर्णय लिया है :–

1. श्रीमती दीपिका पड्डा, सदस्य, योजना पर्षद् – अध्यक्षा
2. गृह आयुक्त या उनके द्वारा नामित गृह विभाग के पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों – सदस्य
3. सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, या उनके द्वारा नामित विभागीय पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों – सदस्य

4. सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग या उनके द्वारा नामित श्रम विभाग के पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों — सदस्या

5. श्रीमती शोभा अहोतकर, भा०आ०से०, आरक्षी अधीक्षक — सदस्या

6. श्रीमती डॉ० गीता प्रसाद, उप निदेशक, स्वास्थ्य — सदस्या

7. श्रीमती मधुलता श्रीवास्तव, विद्यालय निरीक्षका — सदस्या

8. योजना विभाग द्वारा नामित एन०जी०ओ० की महिला प्रतिनिधि — सदस्या

9. निदेशक, समाज कल्याण, बिहार, पटना — सदस्य–सचिव

3. उक्त समिति का कार्यकाल अगले आदेश तक रहेगा ।

4. उक्त समिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश में दिये गये दिशा–निदेश का अनुपालन कराने और एतत्संबंधी राज्य सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन की दिशा में विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा कृत कार्रवाई की समीक्षा करेगी और यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित विभागों/कार्यालयों द्वारा कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करायेगी ।

5. उक्त समिति कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न संबंधी आचरणों, चाहे ऐसा आचरण किसी कानून के तहत अपराध हो या सेवा नियमावली का उल्लंघन, के कारणों से उद्‌भुत शिकायतों के समुचित और कालबद्ध निष्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ।

6. यह समिति प्राप्त शिकायतों एवं उनके द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को समर्पित करेगी ।

7. उक्त समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार अवश्य होगी, किन्तु समिति की अध्यक्षा आवश्यकतानुसार कभी भी समिति की बैठक बुला सकेगी ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

मुकुन्द प्रसाद

सरकार के मुख्य सचिव ।

ज्ञापांक–3/एम०–1–15/2001 का०–2403 पटना–15, दिनांक 04 मई, 2001

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा इसकी 100 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित ।

हारुन रशीद

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–1–15/2001 का०–2403 पटना–15, दिनांक 04 मई, 2001

प्रतिलिपि– उक्त समिति के अध्यक्ष/सभी सदस्य/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

हारुन रशीद

सरकार के संयुक्त सचिव।

[5]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 17. 04. 2001

विषय– रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या 666–70/1992–विशाका एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 13.08.97 को पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु दिशा निदेश एवं परिवाद समितियों का गठन ।

रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या 666–70/1992–विशाका एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 13.08.97 को पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश [जे०टी० 1997(7) एस०सी० 384] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायादेश में कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकने, यौन उत्पीड़न से संबंधित परिवादों के निष्पादन एवं दोषी व्यक्तियों को दंड देने हेतु मापदंड एवं प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु दिशा निदेश दिये गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में केन्द्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/10/97–इस्ट (ए) दिनांक 13.02.98 के द्वारा दिशा निदेश निर्गत किए हैं। गृह (आरक्षी) विभाग के स्तर से भी पंत्रांक 13514 दिनांक 06.11.2000 द्वारा यह निदेश परिचारित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निदेश एवं मानदंडों के आलोक में यौन उत्पीड़न को रोकने तथा उनके समाधान एवं निराकरण हेतु कार्रवाई की जाय।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भित न्यायादेश में यह दिशा निदेश दिया गया है कि नियोजक या कार्यस्थलों या अन्य संस्थाओं के अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों का यह दायित्व होगा कि वे यौन उत्पीड़न की घटना को रोकने हेतु कार्रवाई करें और सभी आवश्यक उपायों के द्वारा यौन उत्पीड़न के मामलों के निष्पादन एवं अभियोजन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करें। इस उद्देश्य से यौन उत्पीड़न में ऐसे सभी अवांछनीय यौन निर्धारित व्यवहार (चाहे सीधे रूप से या परोक्ष रूप से) शामिल होंगे, यथा–

(i) शारीरिक संपर्क एवं इसके लिए आगे बढ़ना,

(ii) यौन अनुमति के लिए अनुरोध या माँग,

(iii) यौन रंजित टिप्पणियाँ,

(iv) अश्लील साहित्य दिखाना,

(v) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या गैर–मौखिक आचरण।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया है जिसका अनुपालन सभी प्रकार के सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर–सरकारी/बोर्ड/निगम/निकाय आदि कार्यस्थलों पर सुनिश्चित किया जाए :–

(a) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के उपनियम (1) (iii) में यह प्रावधान है कि कोई सरकारी सेवक ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो। महिला के यौन उत्पीड़न का कार्य निश्चित रूप से सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय है और कदाचार की श्रेणी में आता है। यौन उत्पीड़न के ऐसे मामले में दोषी सरकारी सेवक के विरुद्ध नियमानुसार उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाए। बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली में संशोधन द्वारा एतदर्थ एक विशिष्ट प्रावधान भी करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(b) जहाँ ऐसा कोई आचरण भारतीय दंड विधान या किसी अन्य कानून के अंतर्गत विशिष्ट अपराध की श्रेणी में आता है, संबंधित प्राधिकारी उपयुक्त प्राधिकार के समक्ष परिवाद के माध्यम से विधिसम्मत उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ करेंगे।

(c) विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाए कि यौन उत्पीड़न की शिकायत पर कार्रवाई करते समय पीड़ित महिला या गवाहों को दंडित नहीं किया जाये या उनके विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाय। यौन उत्पीड़न से पीड़ित व्यक्ति को यह विकल्प होना चाहिये कि वे यौन उत्पीड़न के लिए दोषी कर्मचारियों के स्थानांतरण या स्वयं अपने स्थानांतरण का अनुरोध करें।

(d) चाहे ऐसा आचरण किसी कानून के अंतर्गत अपराध या सेवा नियमावली के उल्लंघन का मामला बनता हो या नहीं, प्रत्येक संगठन में पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा दर्ज की गई शिकायत के निष्पादन हेतु उपयुक्त व्यवस्था स्थापित की जाये। ऐसी शिकायत निष्पादन की व्यवस्था में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि शिकायतों पर कालबद्ध रूप से कार्रवाई हो। जहाँ भी शिकायतों के निष्पादन हेतु ऐसी व्यवस्था पूर्व से विद्यमान हो, वहाँ उन्हें अधिक प्रभावकारी बनाया जाए और विशेष रूप से ऐसी शिकायतों के निष्पादन का दायित्व महिला पदाधिकारियों को दिया जाये।

(e) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये दिशा निदेश (प्रतिलिपि संलग्न) को सुस्पष्ट रूप से अधिसूचित एवं प्रकाशित कर इस संबंध में महिला कर्मचारियों के अधिकारों का प्रचार एवं उनके प्रति जागरूकता पैदा की जाये और संलग्न दिशा निदेशों का सभी विभाग/कार्यालय और बोर्ड/निगम/निकाय/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी कार्यस्थलों पर अनुपालन सुनिश्चित की जाये।

(f) निजी नियोक्ताओं के संबंध में इन्डस्ट्रीयल इम्प्लायमेंट (स्टैंडिंग ऑर्डरस) ऐक्ट, 1946 के तहत स्थायी आदेशों में उपर्युक्त निषेधों का समावेश करने की भी कार्रवाई की जाये।

(g) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निदेश के आलोक में प्रत्येक विभाग एवं विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में परिवाद समितियाँ गठित की जायें। यह समिति यथासम्भव महिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में हो और इसमें कम–से–कम आधे सदस्य महिलायें हों।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी में लाने हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये और इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को इस निदेश के साथ दिया जाये कि वे संलग्न दिशा निदेश से अपने अधीनस्थ सभी सरकारी कार्यालय/लोक उपक्रम/बोर्ड/निगम/निकाय/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय तथा प्राइवेट कार्यस्थलों के प्रभारी को अवगत करा दें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

हारुन रशीद

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 3/एम 01–13/2001 का०–2058 पटना, दिनांक 17.04.2001

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 1000 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

हारुन रशीद

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 2058 पटना, दिनांक 17.04.2001

प्रतिलिपि– सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्यमंत्री सचिवालय / मुख्य सचिव के सचिव / अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प एवं संलग्न दिशा निदेशों से अपने अधीनस्थ कार्यालयों / लोक उपक्रमों / बोर्ड / निगम / निकायों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों तथा अपने कार्य क्षेत्र के निजी संस्थानों / कार्यस्थलों को अवगत करावें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करायें।

हारुन रशीद

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 2058 पटना, दिनांक 17.04.2001

प्रतिपिलि– सचिव, विधान सभा सचिवालय / सचिव, विधान परिषद् सचिवालय / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग / लोकायुक्त के सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

हारुन रशीद

सरकार के संयुक्त सचिव

यौन–उत्पीड़न पर रोक

Guidelines and norms *laid down by the Hon'ble Supreme Court in Vishaka & others v. State of Rajasthan & Others [JT 1997 (7) SC 384].*

HAVING REGARD to the definition of "human rights " in section 2 (d) of the Protection of Human Rights Act, 1993,

TAKING NOTE of the fact that the present civil and penal laws in India do not adequately provide for specific protection of women from sexual harassment in work places and that enactment of such legislation will take considerable time.

It is necesary and expedient for employers in work places as well as other responsible persons or institutions to observe certain guidelines to ensure the prevention of sexual harassment of women :

1. **Duty of the employer or other responsible persons in work places and other institutions :**
   It shall be the duty of the employer or other responsible persons in work places or other institutions to prevent or deter the commission of acts of sexual harassment and to provide the procedures for the resolution, settlement or prosecution of acts of sexual harassment by taking all steps required.
2. **Definition:**
   For this purpose, sexual harassment includes such unwelcome sexually determined behaviour (whether directly or by implications) as :
   (a) physical contact and advances;
   (b) a demand or request for sexual favour;
   (c) sexually coloured remarks;
   (d) showing pornography;
   (e) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature.

   Where any of these acts is committed in circumstances where-under the victim of such conduct has a reasonable apprehension that in relation to the victim's employment of work whether she is drawing salary, or honorarium or voluntary, whether in Government, public or private enterprise, such conduct can be humiliating and may constitute a health and safety problem. It is discriminatory, for instance when the woman has reasonable grounds to believe that her objection would disadvantage her in connection with her employment or work including recruiting or promotion or when it creates a hostile work environment. Adverse consequences might be visited if the victim does not consent to the conduct in question or raises any objection thereto.
3. **Preventive Steps :**
   All employers or persons in charge of work place, whether in public or private sector should take appropriate steps to prevent sexual harassment. Without prejudice to the generality of this obligation, they should take the following steps:-
   (a) Express prohibition of sexual harassment as defined above at the work place should be notified, published and circulated in appropriate ways.
   (b) The Rules/Regulations of Government and Public Sector Bodies relating to conduct and discipline should include rules/regulations prohibiting sexual harassment and provide for appropriate penalties in such rules against the offender.
   (c) As regards private employers, steps should be taken to include the aforesaid prohibitions in the standing orders under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946.
   (d) Appropriate work conditions should be provided in respect of work leisure, health and hygiene to further ensure that there is no hostile environment towards women at work places and no employee women should have reasonable grounds to believe that she is disadvantaged in connection with employment.

4. **Criminal Proceedings :**

Where such conduct amounts to a specific offence under the Indian Penal Code or under any other law, the employer shall initiate appropriate action in accordance with law by making a complaint with the appropriate authority.

In particular, it should ensure that victims, or witnesses are not victimized or discriminated against while dealing with complaints of sexual harassment. The victims of sexual harassment should have the option to seek transfer of the perpetrator or their own transfer.

5. **Disciplinary Action :**

Where such conduct amounts to misconduct in employment as defined by the relevant service rules, appropriate disciplinary action should by initiated by the employer in accordance with those rules.

6. **Complaint Mechanism :**

Where or not such conduct constitutes an offence under law or a breach of the service rules, an appropriate complaint mechanism should be created in the employer's organization for redress of the complaint made by the victim. Such complaint mechanism should ensure time bound treatment of complaints.

7. **Complaints Committee :**

The complaint mechanism, referred to in (6) above, should be adequate to provide where necessary, a Complaints Committee, special counsellor or other support service, including the maintenance of confidentiality.

The Complaints Committee should be headed by a woman and not less than half of its members should be women. Further, to prevent the possibility of any undue pressure or influence from senior levels, such Complaints Committee should involve a third party, either NGO or other body who is familiar with the issue of sexual harassment.

The Complaints Committee must make an annual report to the Government department concerned of the complaints and action taken by them.

The employers and person in charge will also report on the compliance with the aforesaid guidelines including on the reports of the Complaints Committee to the Government department.

8. **Workers Initiative :**

Employees should be allowed to raise issues of sexual harassment at workers meeting and in other appropriate forum and it should be affirmatively discussed in Employer-Employee Meetings.

9. **Awareness :**

Awareness of the rights of female employees in this regard should be created in particular by prominently notifying the guidelines (and appropriate legislation when enacted on the subject) in a suitable manner.

10. **Third Party Harassment :**

Where sexual harassment occurs as a result of an act or omission by any third party or outsider, the employer and person in-charge will take all steps necessary and reasonable to assist the affected person in terms of support and preventive action.

11. The Central/State Governments are requested to consider adopting suitable measures including legislation to ensure that the guidelines laid down by the order are also observed by the employers in 'Private Sector'.

12. The guidelines will not prejudice any rights available under the Protection of Human Rights Act, 1993.